न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 06/2009

जसवन्ती देवी पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी कनवानी हाल भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)

---प्रार्थीया

बनाम

1. मनीराम पुत्र श्री तनुराम जाति जाट नि0 कनवानी तह0 रावतसर
2. श्री रामकिशन मीणा, आर टी एस, उपपंजीयक, रावतसर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2'क' सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक प्रार्थीया

श्री रामकुमार कस्वां, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णयः– दिनांकः– 28.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने सहायक कलैक्टर, रावतसर के समक्ष अन्य भूमि को शामिल करते हुए चक 3 डी डब्लयु डी की 1.771 हैक्टयर भूमि में भी अपना हिस्सा होने के कारण अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व समस्त भूमि को रहन बैय ना किये जाने हेतू स्थगन जारी किया तत्पश्चात दिनांक दिनांक 27.08.2008 को उक्त स्थगन खारिज किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थीया ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की व न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2008 को स्थगन जारी किया गया जो उसी दिन तहसील कार्यालय रावतसर में दस्ती ले जाकर दे दिया, उक्त स्थगन आदेश का उल्लेख उपपंजीयक रावतसर ने रजिस्ट्री के पृष्ठ संख्या 3 के पीछे भी किया है। अप्रार्थीगण ने षडयन्त्रपूर्ण तरीके से माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना करने की मंशा से दिनांक 6.11.2008 को रजिस्ट्री निष्पादित व पंजीबद्व करवाई। अप्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2008 की अवहेलना करता है जिस कारण अप्रार्थीगण को दण्डित किये जाने हेतू नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामकुमार कस्वां व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चक 3 डी डब्लयु डी की भूमि को शामिल करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2008 को रहन, बैय या अन्य तरीके से अन्तरित न करने हेतू स्थगन आदेश जारी किया गया था व न्यायालय के स्थगन के आदेश के बाबजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 3 डी डब्लयु डी की प्रश्नगत् भूमि का बैयनामा निष्पादित करवाया व अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त बैयनामा को पंजीबद्व किया है अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है जिसके लिए अप्रार्थीगण को दण्डित किये जाने के आदेश फरमावे।

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किये कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र को सिद्व नही किया है तथा न ही किसी स्वतंत्र गवाह के ब्यान करवाये गये हैं, न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का उसे कोई ज्ञान नही था न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अप्रार्थी द्वारा कभी कोई अवहेलना नही की गई है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय के समक्ष एक अपील बअनवानी जसवन्ती बनाम मनीराम अपील संख्या 06/2008 प्रस्तुत की गई थी व दिनांक 28.08.2008 को उक्त अपील में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किये गये है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त स्थगन की प्रति उसी दिन अर्थात दिनांक 28.08.2008 को उपपंजीयक कार्यालय, रावतसर व तहसील कार्यालय, रावतसर को दे दी थी जिसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज बैयनामा निष्पादित व पंजीबद्व करवाया गया है, परन्तु प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार व उपपंजीयक, रावतसर को दी गई हो तथा न ही न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई अथवा नही ऐसा स्पष्ट है। इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा इस अपील में अप्रार्थी के लिए जारी सम्मन रजिस्ट्रर्ड ए डी से भिजवाये गये है व इन सम्मनों की अप्रार्थी पर तामिल हुई अथवा नही ऐसा भी पत्रावली पर स्पष्ट नही है, ऐसी स्थिति में यह मानना कतई उचित नही होगा कि अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी आदेश का ज्ञान रहा हो। प्रार्थीया यह सिद्व करने में असफल रही है कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2'ए' खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28/2/19

मूल चन्द (आर0ए0एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)